

अति-आवश्यक

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥
क्रमांक: बं.शा./जयपुर/विविध/49029-45 दिनांक: 17/01/25
समस्त अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान,
अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
अधीक्षक, विशिष्ट, केन्द्रीय कारागृह श्यालावासा।

विषय:- रिट पिटिशन (सिविल)संख्या 1404/2023 सुकन्या
शांथा बनाम भारत सरकार व अन्य में माननीय
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.
2024 की पालना में राज्य सरकार द्वारा जारी
नोटिफिकेशन के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित
आदेश दिनांक 03.10.2024 की पालना में राज्य सरकार (ग्रुप-12)
विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी नोटिफिकेशन की प्रति
संलग्न कर भिजवाई जा रही है। जिसकी आवश्यक रूप से पालना
की जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अशोक वर्मा)
अधीक्षक

महानिदेशालय कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर। (संलग्न)
2. प्रभारी, कम्प्यूटर लैब, महानिदेशालय कारागार जयपुर को
विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षक
महानिदेशालय कारागार
राजस्थान, जयपुर

अति-आवश्यक

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥
क्रमांक: बं.शा./जयपुर/विविध/49029-45 दिनांक: 17/01/25
समस्त अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान,
अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
अधीक्षक, विशिष्ट, केन्द्रीय कारागृह श्यालावास।

विषय:- रिट पिटिशन (सिविल)संख्या 1404/2023 सुकन्या
शांथा बनाम भारत सरकार व अन्य में माननीय
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.
2024 की पालना में राज्य सरकार द्वारा जारी
नोटिफिकेशन के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित
आदेश दिनांक 03.10.2024 की पालना में राज्य सरकार (ग्रुप-12)
विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी नोटिफिकेशन को प्रति
संलग्न कर भिजवाई जा रही है। जिसकी आवश्यक रूप से पालना
की जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अशोक वर्मा)

अधीक्षक

महानिदेशालय कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर। (संलग्न)
2. प्रभारी, कम्प्यूटर लैब, महानिदेशालय कारागार जयपुर को
विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षक

महानिदेशालय कारागार
राजस्थान, जयपुर

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME (GROUP-XII) DEPARTMENT**

No. F.4(1)Home-12/Kara/2024 - 21426

Jaipur, Dated : 26-12-2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 59 of the Prisons Act, 1894 (Central Act No. 9 of 1894), the State Government hereby makes the following rules to amend the Rajasthan Prisons Rules, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Prisons (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 681.- The existing sub-rule (22) of rule 681 of the Rajasthan Prisons Rules, 2022 shall be substituted by the following, namely:-

(22) Prisoners who have shown or are likely to have a strong inclination to escape even though eligible shall not be employed on extramural work "

By Order and in the name of the Governor,

sd/
(Pooja Parth)

Joint Secretary to the Government

Copy forwarded to the information and necessary action:-

1. Secretary to Hon'ble Governor.
2. Principal Secretary, Rajasthan Legislative Assembly Secretariat, Jaipur.
3. Additional Chief Secretary to Hon'ble Chief Minister.
4. Joint Secretary to Chief Secretary.
5. PS to ACS, Home/Pr. Secretary, Law/ Secretary, Home (Law).
6. Director General of Police (Prisons), Rajasthan, Jaipur.
7. Superintendent, State Central Press, Jaipur for publishing the said notification in the upcoming Extraordinary Gazette.
8. Programmer, Home (Coordination) Department to be uploaded on Home Department Website.
9. Guard file.

Joint Secretary to the Government

Page | 1

Supreme Court
में दाखिल आदिका सुकन्या सोधा
में OTC द्वारा जवाब इसके आधार
पर तैयार करना है, अतः इसकी रक
कि निदि आवा को देवे। Wuyl